


राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें राज0 जयपुर
क्रमांक :- ई-18/एम/एसीपी आक्षेप-III /2017/ दिनांक :

आदेश


राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ.11 (7)वित्त/नियम/2008 दिनांक 12.09.2008 एवं संशोधित आदेश क्रमांक एफ.14 (88)वित्त (नियम)/2008-I दिनांक 31.12.2009 एवं दिनांक 05.07.2013 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार श्री सत्यनारायण शर्मा लिपिक ग्रेड-द्वितीय(से.नि.), मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली जिनकी राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि 24.08.1977 (च.श्रे.क.) है, को 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर दिनांक 01.09.2006 से 5200-20200 व ग्रेड पे 2800 एसीपी स्वीकृत किया जाता है।

उक्त कर्मचारी का वेतन नियतन संबंधित प्रशासनिक अधिकारी द्वारा पृथक से किया जावेगा।


(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राज0 जयपुर

क्रमांक :- ई-18/एम/एसीपी आक्षेप-III /2017/1385 दिनांक : 30/06/17
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली को उनके पत्र क्रमांक 7899-7900 दिनांक 13.06.2017 के क्रम में लेख है कि कार्मिक से अधिक भुगतान की राशि वसूली कर निम्नहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करावें।
2. श्री सत्यनारायण शर्मा, लिपिक ग्रेड-द्वितीय(से.नि.) को सूचनार्थ।
3. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करे।
4. आदेश/निजी पत्रावली।


अतिरिक्त निदेशक (प्रशा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राज0 जयपुर